

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 142/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

रामेश्वर महतो ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

ठाकुरी महतो वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

09-11-24

प्रथम पक्ष रामेश्वर महतो के आवेदन पर अंचल अधिकारी बगोदर के प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत भू-विवाद के कारण दिनांक 12.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त विवादग्रस्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- बिहारो, खाता नं0- 170/44, प्लॉट नं0- 1505, रकबा- 35 डिसमिल
चौहद्दी : उ0- निज मोटा आर, द0- सीमाना अटका, पू0- लेख्यधारी, प0- सीमाना

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि पंजीकृत केवाला द्वारा उक्त जमीन उनके पूर्वज को प्राप्त हुआ तथा उस समय से उक्त भूमि पर उनके पूर्वज तथा पूर्वज के उपरान्त वे दखलकार हुए। दिनांक 02.07.2024 को विपक्षीगण कब्जा करने के उद्देश्य से उनके खरीदगी जमीन को जोत आबाद करने लगे जो कि विवाद का कारण है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित केवाला की छायाप्रति, एक नक्शा की छायाप्रति, केवाला का हिन्दी अनुवाद की छायाप्रति, village map की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

वही दूसरी ओर द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में बयान करते हैं कि जिस राधा कुमारी से प्रथम पक्ष अपने जमीन की खरीदगी का जिक्र करते हैं उसी राधा कुमारी के पुत्र घनश्याम प्रसाद से द्वितीय पक्ष के ठाकुरी महतो निबंधित केवाला 2023/डुमरी/624/BK1/607 दिनांक 20.10.23 को तथा एक अन्य केवाला दस्तावेज 2023/डुमरी/625/BK1/608 द्वारा राधा कुमारी के पुत्र

घनश्याम प्रसाद, गोपी मंडल एवं रामजी प्रसाद द्वारा द्वितीय पक्ष के महादेव प्रसाद और सावित्री देवी को उक्त विवादग्रस्त भूमि हासिल है।

दोनों पक्ष अपने कारण पृच्छा में हाल सर्वे के कारण खाता प्लॉट परिवर्तन की बात स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल सर्वे में प्रथम पक्ष अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए जबकि उनके पास निबंधित केवाला था। हाल सर्वे में राधा कुमारी का नाम दर्ज हुआ इस प्रकार राधा कुमारी के वंशजों ने जमीन की खरीद बिक्री द्वितीय पक्ष को की।

अंचल अधिकारी बगोदर का भी प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष किसी के भी पक्ष में कायम नहीं है तथा भूमि रैयती खाते से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवाला से भूमि प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम पक्ष ने ना तो दाखिल खारिज करवाया और ना ही सर्वे अंतिमीकरण के समय अथवा C.N.T. Act के तहत सर्वे संशोधन हेतु कोई प्रयास किया।

प्रस्तुत विवाद अलग-अलग समय में अलग-अलग रैयत द्वारा निष्पादित निबंधित विक्रय पत्र के आधार पर उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह मामला स्वत्व (Title) से जुड़ा है। C.N.T. Act के तहत सर्वे अंतिमीकरण के उपरान्त किसी संशोधन के तहत विहित समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त किसी अनुतोष के लिए व्यवहार न्यायालय ही सक्षम प्राधिकार है साथ ही स्वत्व (Title) के निर्धारण / विवेचन हेतु अधोहस्ताक्षरी सक्षम न्यायालय नहीं है। द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा से यह ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा स्वत्व तथा कब्जा इत्यादि के लिए विवादित भूमि पर original suit 06/2024 लाया गया है।

उक्त विवेचन के आलोक में भा0ना0सु0सं0 के तहत प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश किसी पक्षकार के हित में या विरुद्ध पारित करना न्यायसंगत नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया